

1/232567/2022

संख्या-2254 / सैतीस-2-2022-1(15) / 2012टी0सी0-(ए)क0सं0-1659381

प्रेषक,

डॉ० रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक 07 नवम्बर, 2022

विषय:-प्रदेश में कामर्शियल लेयर्स फार्म की अवस्थापना एवं ब्रायलर पैरेंट फार्म की अवस्थापना को बढ़ाना देने हेतु उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-2022 का प्रख्यापन

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में कामर्शियल लेयर्स फार्म की अवस्थापना एवं ब्रायलर पैरेंट फार्म की अवस्थापना को बढ़ाना देने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपसन्त "उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-2022" अनुमोदित की गयी है। उक्त अनुमोदित उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-2022 की प्रति आपको अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृपया इस नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भव दीय,

Signed by डा० रजनीश दुबे

Date: 07-11-2022 14:29:20

(डॉ० रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।
Reason: Approved

संख्या-2254(1) / सैतीस-2-2022तददिनांक

प्रतिलिपि अनुमोदित नीति की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- (2) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- (3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- (4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ०प्र० शासन।
- (5) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ०प्र० शासन।
- (6) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० शासन।
- (7) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (8) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।
- (9) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
- (10) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ०प्र० शासन।
- (11) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उ०प्र० शासन।
- (12) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- (13) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
- (14) निदेशक, सूचना निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- (15) पशुधन अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- (16) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति-2022

1-दृष्टि

पशुपालन को लघु उद्योग के रूप में विकसित करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में है। पशुपालन के क्षेत्र में कुक्कुट विकास को प्राथमिकता देना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में प्रदेश में 1.60 करोड़ अण्डों का उत्पादन प्रतिदिन किया जा रहा है, जबकि 2.50 करोड़ अण्डों का उपभोग प्रतिदिन किया जाता है, जिसकी पूर्ति हेतु लगभग 90 लाख अण्डा प्रतिदिन अन्य प्रदेशों से आयात किया जाता है। प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप अण्डे की मांग में निरन्तर वृद्धि भी हो रही है। इसी प्रकार ब्रायलर मांस की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रदेश में लगभग 15 करोड़ एक दिवसीय ब्रायलर चूजे प्रतिवर्ष अन्य प्रदेशों से आयात किये जाते हैं।

कुक्कुट उत्पाद में मांग के सापेक्ष उपलब्धता में अन्तर (गैप) को पूर्ण कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने तथा निर्यातोन्मुखी बनाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-2022 प्रख्यापित की जा रही है। उक्त नीति के अन्तर्गत आगामी 5 वर्षों में 1 करोड़ 90 लाख अण्डा प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के कामर्शियल लेयर फार्म की स्थापना तथा 1 करोड़ 72 लाख ब्रायलर चूजों के वार्षिक उत्पादन हेतु ब्रायलर पेरेन्ट फार्म की स्थापना किया जाना लक्षित है। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की Trillion Dollar Economy के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होगी तथा इससे प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। यह नीति प्रख्यापन के दिनांक से आगामी 05 वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

2-उद्देश्य :-

- 2.1- प्रदेश में जनमानस के लिए प्रोटीन युक्त आहार हेतु अण्डे की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए, प्रदेश को 5 वर्षों में अण्डा उत्पादन में आत्मनिर्भर/निर्यातोन्मुखी बनाना।
- 2.2- प्रदेश में जनमानस के लिए कुक्कुट मांस की उपलब्धता मांग के अनुसार सुनिश्चित कराना जिससे अन्य प्रदेशों से होने वाले आयात पर निर्भरता कम हो सके।
- 2.3- पोषण सुरक्षा (Nutritional Security) को सुनिश्चित करना।
- 2.4- प्रदेश में पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास कराते हुए आगामी 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपये का निवेश सुनिश्चित कराना
- 2.5-प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन करते हुए कुक्कुट पालन द्वारा किसानों की आय को न्यूनतम दो गुना करना

3- परियोजनाओं का प्रकार एवं अनुमन्य ब्याज उपादान

नीति के अन्तर्गत दो प्रकार की परियोजनाएँ लाभार्थियों को अनुमन्य होंगी :

1- कामर्शियल लेयर फार्म की स्थापना

2- ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना

3.1 कामर्शियल लेयर फार्म की स्थापना:-

इस योजना अन्तर्गत तीन स्तरों की क्षमता की इकाईयाँ, यथा 10 हजार पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर इकाई, 30 हजार पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर इकाई एवं 60 हजार पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर इकाई स्थापित किया जाना है, जिसकी प्रति इकाई परियोजना लागत क्रमशः रुपये 99.53 लाख, रुपये 256.69 लाख एवं रुपये 491.90 लाख है। उपर्युक्त इकाइयों पर लाभार्थी को बैंक से प्राप्त ऋण पर 5 वर्ष (60 माह) तक 7 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति लाभार्थी को अनुमन्य होगी। परियोजनाओं का वित्तपोषण 30 प्रतिशत मार्जिन मनी तथा 70 प्रतिशत अधिकतम ऋण पर ब्याज के अनुपात में होगी। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी यदि उक्त से कम ऋण प्राप्त करता है तो प्रति इकाई वास्तविक लिए गये ऋण पर लाभार्थी को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत अथवा बैंक द्वारा निर्धारित दर (इनमें से जो भी कम है) ब्याज की वास्तविक ऋण पर गणना करते हुए 5 वर्षों (60 माह) में वास्तविक ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

3.2 ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना:-

ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना योजना के अन्तर्गत एक इकाई में 10 हजार पैरेन्ट ब्रायलर पक्षी रखे जायेंगे। 10 हजार पैरेन्ट ब्रायलर पक्षी इकाई की स्थापना लागत 289.07 लाख है। उपर्युक्त इकाई पर लाभार्थी को बैंक से प्राप्त ऋण पर 5 वर्ष (60 माह) तक 7 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति लाभार्थी को अनुमन्य होगी। परियोजनाओं का वित्तपोषण 30 प्रतिशत मार्जिन मनी तथा 70 प्रतिशत ऋण के अनुपात में होगी। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी यदि उक्त से कम ऋण प्राप्त करता है तो प्रति इकाई वास्तविक लिए गये ऋण पर लाभार्थी को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत अथवा बैंक द्वारा निर्धारित दर (इनमें से जो भी कम है) ब्याज की वास्तविक ऋण पर गणना करते हुए 5 वर्षों (60 माह) में वास्तविक ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

प्रस्तावित नीति में ब्याज उपादान पर 05 वर्षों में लगभग ₹ 259.00 करोड़ का व्ययभार अनुमानित है।

4-अन्य रियायतें एवं छूट:

4.1 विद्युत शुल्क:-

योजना अन्तर्गत स्थापित कुक्कट इकाइयों के विद्युत बिल में 10 वर्षों तक इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति पशुधन विभाग के बजट से की जायेगी।

4.2 स्टाम्प शुल्क :-

नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाई हेतु कय की गयी भूमि अथवा लीज पर ली गयी भूमि पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्टाम्प शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी। इस हेतु बैंक गारन्टी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र

अनिवार्य होगा। इस निमित्त पशुधन विभाग की सहमति से स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

5-योजना की पात्रता:-

योजना के लाभार्थी का प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। योजना में प्रथम बार आवेदन करने वाले लाभार्थी को प्राथमिकता दी जायेगी, परन्तु ऐसे लाभार्थी जो उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति, 2013 के अन्तर्गत मार्च 2013 से मार्च 2022 के मध्य लाभान्वित हुए हैं, वह इस योजना के पात्र इस शर्त के अधीन होंगे यदि उनके द्वारा योजना अवधि में कुल 30,000 पक्षी क्षमता की लेयर इकाई/इकाईयों अथवा 10,000 क्षमता की ब्रायलर इकाई से अधिक का योजनान्तर्गत लाभ नहीं लिया गया है। वर्तमान नीति के अन्तर्गत लाभार्थी/कृषक/उद्यमी को एक इकाई ही अधिकतम अनुमन्य होगी और अधिकतम एक परियोजना में ही लाभान्वित किया जायेगा।

10 हजार कामर्शियल लेयर इकाई के लिए 01 एकड़, 30 हजार कामर्शियल लेयर इकाई के लिए 2.5 एकड़, 60 हजार कामर्शियल लेयर इकाई के लिए 4 एकड़ एवं 10 हजार ब्रायलर पैरेन्ट के लिए 4 एकड़ भूमि लाभार्थी के स्वामित्व में अथवा लीज पर होना अनिवार्य है।

6. डेडीकेटेड पोर्टल एवं डाटाबेस मैनेजमेन्ट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर:-

6.1- कुक्कुट विकास नीति के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त क्रियाकलापों को पशुपालन विभाग के एक डेडीकेटेड पोर्टल द्वारा संचालित किया जायेगा। कुक्कुट विकास नीति के लाभार्थियों द्वारा समस्त आवेदन इस पोर्टल पर किये जायेंगे।

इस प्रकार यह पोर्टल विभाग हेतु मॉनीटरिंग टूल होगा जिसके माध्यम से नीति के क्रियान्वयन का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा।

6.2- इस नीति के क्रियान्वयन हेतु टेक्निकल सपोर्ट एवं डेटा एनालिटिक्स आधारित क्रियाकलाप हेतु डेटाबेस मैनेजमेन्ट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर की स्थापना कार्यालय निदेशक पशुपालन विभाग मुख्यालय में की जायेगी। यह केन्द्र विषय-विशेषज्ञों, (डोमेन एक्सपर्ट) के सहयोग से संचालित किया जायेगा।

7. प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास

चयनित लाभार्थियों को कुक्कुट इकाई की स्थापना के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कराने के उद्देश्य से उद्यमिता विकास प्रबंधन एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से कराया जायेगा। लाभार्थियों को आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों में भी कुक्कुट पालन की नवीन तकनीक की जानकारी हेतु भ्रमण कराया जायेगा।

8-तकनीकी तथा बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज

8.1 पक्षियों को पालने हेतु California Cage पद्धति अथवा किसी अन्य पक्षी अनुकूल पद्धति (Bird Friendly Technology) का प्रयोग किया जायेगा, जिसके लिए मानकों का पालन अनिवार्य है।

8.2 कृषि विभाग के समन्वय से सोयाबीन व मक्का के उत्पादन को फीड के रूप में बढ़ावा दिया जायेगा।

8.3 मुर्गी पालन के लिए आवश्यक उपकरणों/आवश्यक सामग्रियों (ब्रूडर, फीडर, ड्रीन्कर, ग्राइण्डर मिक्सर, फोगर एवं फैनस) का कय लामार्थी स्वेच्छा से कर सकता है। इस हेतु निदेशालय के फैसिलिटेशन सेन्टर से विषय वस्तु विशेषज्ञों से सलाह उपलब्ध होगी।

9- नीति का कियान्वयन

9.1 मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु प्री अप्रेजेल समिति

जनपद स्तर पर अपलोड किये गये आवेदन पत्र का परीक्षण उक्त समिति द्वारा किया जायेगा, जैसा कि शासन के द्वारा निर्धारित किया जाय, जिसके अध्यक्ष जिले के मुख्य विकास अधिकारी होंगे एवं सदस्य सचिव मुख्य पशुचिकित्साधिकारी होंगे।

9.2 मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु अप्रेजेल समिति

निदेशालय स्तर पर उक्त समिति द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी तथा बैंक की आख्याओं के साथ आवेदन पत्रों का गहन परीक्षण किया जायेगा जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित किया जाय जिसके अध्यक्ष योजना के प्रभारी अपर निदेशक ग्रेड-1/संयुक्त निदेशक, कुक्कुट होंगे तथा तकनीकी एवं वित्त विशेषज्ञ आदि इसके सदस्य होंगे।

9.3-परियोजना अनुमोदन समिति

उक्त समिति का गठन शासन द्वारा किया जायेगा जिसके अध्यक्ष निदेशक, (प्रशासन एवं विकास) होंगे तथा सदस्य सचिव योजना के प्रभारी अपर निदेशक ग्रेड-1/संयुक्त निदेशक, कुक्कुट होंगे तथा समिति में तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञ भी होंगे।

10 नोडल विभाग

नीति के सफल संचालन एवं कियान्वयन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी नोडल विभाग (पशुधन विभाग) की होगी जिसके द्वारा नीति के प्रख्यापन के उपरान्त आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

11- प्रकीर्ण

11.1 इस नीति में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निवारण हेतु नीति में संशोधन के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी, सक्षम होंगे।

11.2 योजना के कियान्वयन यथा सुविधाओं की अनुमन्यता, उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट के परीक्षण एवं संस्तुति, आवेदन प्रपत्र/संस्तुति प्रपत्र/बैंको से समन्वय/

योजनाओं के अनुश्रवण आदि संबंधी कार्यकारी आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा अलग से निर्गत किये जायेंगे।

11.3 उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति-2013 के अन्तर्गत अवशेष लाभ उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति-2013 के स्वीकृत लाभार्थियों को तदनुसार प्राप्त होते रहेंगे।

